राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, Toll Free Help Line 15100)

Email: ftsrslsa@gmail.com website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः सचिव / 2022 / २०१९ दिनांकः ०९/०६/२०२२

::संशोधित सूचना / विज्ञप्ति::

इस कार्यालय के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 20.05.2022 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर में विधिक सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु पैनल अधिवक्ताओं के गठन के लिए समस्त विधि व्यवसायियों / अधिवक्ताओं से आवेदन–पत्र आमंत्रित किए गए थे और उसकी अंतिम तिथि दिनांक 04.06.2022 निर्धारित की गयी थी।

पैनल के गठन के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। साथ ही महिलाओं / एस. सी. / एस.टी. / ओ.बी.सी. / एस.बी.सी. / दिव्यांग वर्गों के आवेदन भी पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं हुए है। पैनल अधिवक्ताओं का चयन किये जाते समय सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हो पाये तथा निर्धारित संख्या में बेहतर विकल्प के साथ पैनल अधिवक्तागण का चयन हो सके, इस भावना को मद्देनजर रखते हुए, निर्देशानुसार, विज्ञप्ति दिनांक 20.05.2022 के बिन्दु संख्या 3 में शिथिलता देते हुए निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है:–

आवेदक द्वारा पांच प्रकरणों के निर्णय / अन्तिम आदेशों की प्रतिलिपियां संलग्न करना आवश्यक होगा, जिनमें आवेदक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गई हो और ऐसा प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया गया हो, परन्तुः

1. 05 निर्णय / अंतिम आदेशों की संख्या की गणना में **राजीनामे से निस्तारित अधिकतम 02 प्रकरणों** के निर्णय / आदेश / अवॉर्ड विचारार्थ स्वीकार्य होंगे।
2. 05 निर्णय / अंतिम आदेशों की संख्या की गणना में **जमानत प्रार्थना पत्रों पर दिए गए अधिकतम 02 आदेश** विचारार्थ स्वीकार्य होंगे।
3. यदि किसी अंतिम निर्णय / आदेश में आवेदक के स्थान पर वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम अंकित है, उस स्थिति में यदि उस पत्रावली के **वकालतनामें पर आवेदक का नाम व हस्ताक्षर अंकित है और वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा सादे कागज पर यह प्रमाणित किया जाता है कि बहस में उसके साथ आवेदक के द्वारा भी भाग लिया गया था**, तो उस अंतिम निर्णय / आदेश को भी 05 की संख्या गणना में विचारार्थ स्वीकार्य होगा।

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04.06.2022 को उपरोक्त संशोधनों के साथ **दिनांक 30.06.2022 की रात्रि 11.59 बजे तक,** पूर्व प्रक्रिया के तहत् बढ़ाया जाता है।

इच्छुक आवेदकों को पूर्ववर्ती ऑनलाईन लिंक, जिसकी जानकारी रालसा की वेबसाईट / समिति से प्राप्त की जा सकती है, पर **दिनांक 30.06.2022 की रात्रि 11:59 बजे तक आवेदन पत्र भरना आवश्यक होगा।**

इसके पश्चात् ऑनलाईन फॉर्म का प्रिंट निकालकर उसकी समान हार्ड कॉपी मय आवश्यक दस्तावेज व्यक्तिशः अथवा डाक के माध्यम से समिति, जयपुर के कार्यालय में **दिनांक 02.07.2022 को सायं 5:00 बजे तक** प्रस्तुत करनी होगी तथा उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को विचारार्थ उपयुक्त नहीं माना जाएगा।

नोटः जिन आवेदकों के द्वारा दिनांक 21.06.2021 की विज्ञप्ति के तहत आवेदन कर रखा है, उन आवेदकों को विकल्प दिया जाता है कि–

1. यदि आवेदक अपने पूर्व में भरे गये आवेदन को ही रखना चाहते है तो वे इस आशय की सूचना समिति, जयपुर को **दिनांक 02.07.2022 को सांय 05:00 बजे तक जरिये ई–मेल/डाक/व्यक्तिगत रूप से पत्र देकर** कर सकते है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा पूर्व में भरे गये आवेदन व दस्तावेजों को विचार में लिया जावेगा।
2. यदि आवेदक उपर्युक्त बिन्दु संख्या 03 के अनुसरण मे पूर्व में प्रस्तुत निर्णयों/आदेशों की प्रतिलिपियों के अतिरिक्त कोई अन्य निर्णय/आदेशों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना चाहते है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा नवीन आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

आवश्यक दस्तावेज–

1. बार कॉउंसिल द्वारा जारी सनद की प्रति।
2. अनुभव प्रमाण–पत्र।
3. पांच प्रकरणों के निर्णय/अन्तिम आदेशों की प्रतिलिपि।
4. यदि आवेदक एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी., एस.बी.सी. या दिव्यांग श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो संबंधित श्रेणी हेतु उचित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
5. जन्म दिनांक प्रमाण कोई भी राजकीय दस्तावेज।
6. अन्य उचित दस्तावेज

आज्ञा से

09/06/22

(अनुतोष गुप्ता)
सचिव
राजस्थान उच्च न्यायालय
विधिक सेवा समिति, जयपुर

क्रमांकः सचिव/2022/२०२० - २०३। **दिनांकः ०९/०६/२०२२**

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार कम सी.पी.सी. महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
6. निदेशक महोदया/संयुक्त सचिव महोदय/विशेष सचिव (मिडियेशन & आर्बिट्रेशन) महोदया/उप सचिव–प्रथम/उप सचिव–द्वितीय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
7. सचिव महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर।
8. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ–राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जयपुर।
9. सदस्य, मॉनिटरिंग एण्ड परामर्शदात्री समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर।
10. नोटिस बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर/राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
11. वेबसाइट, राजस्थान उच्च न्यायालय/रालसा।
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

09/06/2022
सचिव
राजस्थान उच्च न्यायालय
विधिक सेवा समिति, जयपुर